379

संख्याः —/VII-2-16/116-एम0एस0एम0ई0/2014

प्रेषक,

डा0 आर0 राजेश कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः 26 जुलाई, 2016

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

विषयः "हरिप्रसाद टम्टा परम्परागत शिल्प उन्नयन संस्थान, गरूड़ाबांज, अल्मोड़ा के आंगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय के पत्रांकः-1089/उ0नि0/छः/18/शि0उ0सं0-पार्ट-2/2013-14 दिनांक 24.06.2016 के संदर्भ में एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः-490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31.03.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हरिप्रसाद टम्टा परम्परागत शिल्प उन्नयन संस्थान, गरूड़ाबांज, अल्मोड़ा के निर्माण कार्य से संबंधित आंगणन की व्यय-वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत धनराशि **₹3661.64 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति** एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु लेखानुदान द्वारा (दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.07.2016 तक के लिये) प्राविधानित धनराशि ₹50.00 लाख में से प्रथम चरण में **धनराशि ₹25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति 'हरिप्रसाद टम्टा परम्परागत शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना एवं सहायता योजना"** के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन निर्गत किये जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i) प्रथम चरण हेतु स्वीकृत धनराशि को शासनादेश संख्या-163/XXVII(7)/2008 दिनांक 22.05.2008 जारी किये गये शासनादेश के अनुरूप समायोजित कर लिया जाय।

(ii) वर्तमान परिदृष्य में Energy efficient buildings का निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः भवन को विश्व स्तर के मानकों के अनुसार Energy efficient बनाये जाने तथा इस हेतु Buildings के संबंध में विश्व स्तर के मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जाय तथा इस संबंध में Tata Energy Research Institutre (TERI) द्वारा जारी Guide line/Representative designs of energy का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

(iii) सौर ऊर्जा (Solar Energy) के उपयोग का समुचित प्राविधान किया जाय, यथा-सोलर गीजर, सोलर कुकर आदि।

(iv) Water harvesting का समुचित प्राविधान किया जाय।

(v) निर्माण सामग्री यथा Bricks, cement, steel एवं अन्य का Frequency के अनुरूप N.A.B.L. Laboratory से परीक्षण करा लिया जाय।

(vi) Electical Items जैसे Switches, wires, MCB, MCCB, AC आदि, Plumbing Items जैसे Bath fittings, geyser, water tank, pipes आदि, Toilet items, wood Items आदि की Market Survey कर डी0एस0आर0 दर के अनुरूप गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए प्रशासकीय विभाग के साथ समन्वय कर पूर्व में ही Brand name निर्धारित कर लिया जाय। यदि प्रोक्योरमेंट मदों की लागत ₹3.00 लाख से अधिक हो तो कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली-2008 (यथासंशोधित 2015) के अनुसार की जाय।

(vii) आंगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा डी0एस0आर0 की दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां भी उल्लखित हैं। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपहरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आंगणन में समायोजन करेंगे जो अपहरिहार्य मदें है, उदाहरणार्थ–वाटरफूफिंग की मदें अलग से आंगणन में ली गई हैं। यह सही हैं कि यह मद डी0एस0आर0 में हैं, लेकिन स्थल की आवश्यकता को देखते हुए ऐसा यह अपरिहार्य नहीं है कि उनका प्रयोग भी आवश्यक होगा। अतः तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करते समय तकनकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन मदों का विशेष रूप से रखेंगे।

(viii) आंगणन में कन्टीजेंसी मद में केवल 2 प्रतिशत धनराशि देय होगी।

(ix) आंगणन में प्राविधानित सोक पिट तथा सेप्टिक टैंक के स्थान पर बायोडाइजेस्टर आधारित ट्रीटमेंट का प्राविधान सुनिश्चित किया जाय।

(x) भारत सरकार के Notification No.9/2016-sevice tax दिनांक 01.03.2016 के अनुसार नये कार्यों पर sevice tax देय होगा। राज्य सरकार वित्त विभाग के द्वारा कोई आदेश निर्गत न होने के कारण वर्तमान में इस आंगणन में प्राविधान नहीं किया गया है। राज्य सरकार के सम्यक आदेश होने के उपरांत शासनादेशानुसार sevice tax देय होगा।

(xi) वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड में निर्धारित प्रपत्रों एवं निर्देशों के अनुसार व्यवस्थित करते हुए नियमित रूप से शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(xii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही हैं। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(xiii)स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः–490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31.03.2016 में इंगित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

(xiv)स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2017 तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखा शीर्ष–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 103–हथकरघा उद्योग, 09–हरिराम टम्टा परम्परागत शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना तथा सहायता योजना की मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–490 /XXVII(1)/2016 दिनांक 31.03.2016 में इंगित दिशा–निर्देशों के अनुसार जारी किये जा रहें है।

संलग्नकः– अॅलाटमेन्ट आई0डी0।

भवदीय,

(डा0 आर0 राजेश कुमार)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1124(1)/ VII-2-16/116–एम0एस0एम0ई0/2014,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओवराय विल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
3. प्रोजेक्ट मैनेजर, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 इकाई, अल्मोड़ा।
4. निदेशक, एन0आई0डी0, अहमदाबाद।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशक, वित्त एवं कोषागार सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Small & Medium Scale Industry (S066)

आवंटन पत्र संख्या - .

अलॉटमेंट आई डी - S1607230197

अनुदान संख्या - 023

आवंटन पत्र दिनांक -26-Jul-2016

HOD Name - Director Industries (2052)

1: लेखा शीर्षक 2851 - ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग 00 -

103 - हथकरघा उद्योग 09 - हरिराम टप्टा परम्परागत शिल्प उन्नयन संस्थान की

00 - उ

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	2500000	2500000
	0	2500000	2500000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 2500000